प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक – 8 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 20 – 27 फरवरी 2017 मूल्य पांच रूपए

भाजपा-अनुराग की सर्वोच्च न्यायालय में एक और जीत

वीरभद्र की विजिलैन्स को देनी पड़ी सफाई

शिमला/बलदेव शर्मा

सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मशाला पुलिस द्वारा धारा 447 के तहत अनुराग ठाकुर और विशाल मरवाहा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। हिमाचल सरकार इस मामले में अपील में सुप्रीम कोर्ट गयी थी इस एफआईआर का रद्द होना निश्चित रूप से अनुराग ठाकुर के लिये एक बड़ी राहत और सफलता है। जबकि सरकार के लिये यह एक करारा झटका है क्योंकि प्रदेश उच्च न्यायालय ने ही इसे एक कमजोर और ज़बरदस्ती बनाया गया मामला करार दिया था। लेकिन वीरभद्र के सलाहकारों ने इस पर सर्वोच्च न्यायालय में जाने का फैसला लिया और वहां हार का मुंह देखा। इसी तरह का परिणाम ए.एन. शर्मा मामले में रहा है। लेकिन अब जब इस एफआईआर के रद्द होने की खबरें छपी तो यह सदेश गया कि एचपीसीए के खिलाफ विजिलैन्स के जिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल स्टे कर रखा है उसे रद्द कर दिया गया है। इन खबरों से परेशान होकर सरकार ने एक प्रैस नोट जारी करके स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि विजिलैन्स वाला मामला अब तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और 29 मार्च को लगा है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि विजिलैन्स के दो अन्य मामले भी एचपीसीए के खिलाफ अभी तक लंबित है।

स्मरणीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एचपीसीए के जिस मामले पर ट्रायल स्टे किया हुआ है उसका सोसायटी से कंपनी बनाये जाने वाला मूल प्रकरण अभी तक आरसीएस और प्रदेश होईकोर्ट के बीच लंबित है। धर्मशाला में एक भूमिहीन प्रेमु की जमीन खरीदने का जो मामला अनुराग और अरूण के खिलाफ दर्ज हुआ था उसमें एसडीएम की रिपोर्ट काफी अरसा पहले आ चुकी है। उसमें एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में इसे उच्च न्यायालय में उठाये जाने की संस्तुति की है। लेकिन वीरभद्र के सलाहकार इस मामले में अब तक उच्च न्यायालय नही गये है। आज यह चुनावी वर्ष है और राजनीतिक तथा प्रशासनिक हल्कों में यह चर्चा बनी हुई है कि प्रदेश विधान सभा के चूनाव मई – जून में हो सकते है। यह चर्चा कितनी ठीक निकलती है इसका पता तो आने वाले समय मे ही लगेगा। लेकिन इस चर्चा का यह लाभ अवश्य होगा कि वीरभद्र का प्रशासन और विजिलैन्स एचपीसीए और धमूल के कथित संपति मामलों में आने वाले समय में कुछ ठोस नही कर पायेंगे। भाजपा और धमूल के लिये यह स्थिति लाभदायक मानी जा रही है।

स्मरणीय है कि 2012 के विधानसभा चुनावों में भी भ्रष्टाचार केन्द्रिय मुद्दा बना था। इस बार भी भ्रष्टाचार के नाम पर ही चुनाव लड़ा जायेगा। क्योंकि विकास के नाम पर हर चुनाव क्षेत्र में इस कार्यकाल में वीरभद्र सिंह ने जितनी भी घोषणाएं की है वह सब पूरी नही हुई हैं। बल्कि अधिकांश तो केवल कोरी घोषणाएं होकर ही रह गयी हैं। फील्ड में हर कार्यालय में कर्मचारीयों के कई-कई स्थान रिक्त चले हुए हैं। जितने नये स्कूल खोलने की घोषणाएं हुई है उससे अधिक तो बन्द करने के आदेश जारी हो चुके हैं। ऐसे मे विकास के नाम पर वीरभद्र को वोट मांगना आसान नहीं होगा। इस परिदृश्य में यदि भाजपा वीरभद्र और उसकी सरकार के भ्रष्टाचार को केन्द्रिय चुनावी मुद्दा बनाने में सफल हो जाती है तो कांग्रेस के पास इसका कोई जबाव नही होगा। लेकिन भ्रष्टाचार के जिन मुद्दों पर अब तक सीबीआई और ईडी ने वीरभद्र को घेरा है वह आज ऐसे मोड़ पर आकर रूक गये है कि उनसे भाजपा को लाभ मिलने की बजाये नुकसान होने का खतरा बन गया है। क्योंकि सीबीआई के मामले में भले ही दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसला रिर्जव चल रहा है लेकिन ईडी की शेष बची जांच का अब तक पूरा न होना अपने में कई सवाल खड़े कर जाता है। ईडी ने आधी जांच करवके आनन्द चौहान के संद्धर्भ में तो उसे गिरफ्तार करके चालान भी ट्रायल कोर्ट में पहुंचा दिया है लेकिन सब जानते हैं कि इसमें आनन्द ही अन्तिम लाभार्थी नही है। आनन्द को जमानत न मिल पाने पर जन सहानुभूति उसके पक्ष में होती जा रही है। ईडी को अपनी शेष बची जांच को पूरा करने के लिये किसी अदालत से कोई रोक नही है। फिर ईडी में मनीलॉडरिंग के मामलों में जांच को जल्द से जल्द पूरा करवाने की जिम्मदारी तो जेटली के वित्त विभाग की है।

सीबीआई ने हिमाचल उच्च न्यायालय से मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करवाने में जो कदम उठाये थे उससे यह मामला सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका को फज़ीहत से बचाने की टिप्पणी के साथ ट्रांसफर कर दिया था। फिर सीबीआई ने जब चालान की अनुमति के लिये आग्रह रखा तब दैनिक आधार पर इसकी सुनवाई हुई। लेकिन आज दो माह से अधिक समय से इसमें फैसला रिजर्व चल रहा है। इस रिजर्व फैसले को शीघ्र घोषित करवाने के लिये अब तक सीबीआई द्वारा कोई कदम ना उठाये जाने के कारण पूरा परिदृश्य बदलता नज़र आ रहा है। रिजर्व फैसला कितनी देर में घोषित हो जाना चाहिये इसको लंकर कानून में कुछ स्पष्ट नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय

इस संद्धर्भ में 1976 से लेकर अब तक कई बार दिशा निर्देश जारी कर चुका है। आर सी शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, अनिल राय बनाम बिहार सरकार और बी. के. शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया मामलों में इस संद्धर्भ में निर्देश आ चुके हैं। जस्टिस गांगूली ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 60 दिनों के भीतर रिजर्व फैसला घोषित हो जाना चाहिये। यदि इस मामले में शीघ्र फैसला नहीं आता है और इसकी पुन: सुनवाई स्थिति आ जाती है तो भ्रष्टाचार को केन्द्रिय मुद्दा बनाने के भाजपा के सारे प्रयासों पर पानी फिर जायेगा और यह भाजपा के लिये सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा।

कहां तक जायेगा वीरभद्र और संगठन का टकराव

शिमला/शैल। 2012 के विधानसभा चुनावों से पूर्व कांग्रेस ने धूमल सरकार के खिलाफ एक विस्तृत आरोप पत्र महामहिम राष्ट्रपति को दिल्ली में सौंपा था। इस आरोप पत्र के बाद चुनावों के दौरान कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था। सरकार बनने के बाद आरोप पत्र की जांच और घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। आरोप पत्र में सबसे बड़ा आरोप 'हिमाचल ऑन सेल' का था। सरकार बनने के बाद यह आरोप पत्र जांच के लिये विजिलैन्स को सौंप दिया गया। लेकिन विजिलैन्स ने अब तक जितने भी मुद्दों पर जांच की है उनमें एक भी मामलें में उसे सफलता नही मिली है। बल्कि विजिलैन्स की सारी जांच एचपीसीए के गिर्द ही केन्द्रित होकर रह गयी है। एचपीसीए पर ही ज्यादा ध्यान केन्द्रित होने पर जब संगठन और सरकार के कुछ वर्गो में सवाल उठे तब वीरभद्र ने आरोप पत्र से यह कहकर किनारा कर लिया था कि वह आरोप पत्र तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य ही नहीं थे। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में एक सबसे बड़ा वायदा था प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपये का बेरोगारी भत्ता देना। वीरभद्र इस वायदे को भी पूरा नही कर पाये है। इन दिनों यह बेरोजगारी भत्ता सरकार और संगठन में फिर मुद्दा बनकर उछल गया है। परिवहन मन्त्री जीएस बाली द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है। स्मरणीय है कि बाली ने धूमल शासन के दौरान भी इस मुद्दे पर एक पद्यात्रा निकाली थी और अब फिर युवाओं का एक सम्मेलन बुलाने जा रहें हैं। प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में दर्ज आंकड़ो के मुताबिक बेरोजगार युवाओं की संख्या दस लाख से भी ऊपर है। बाली की ही तर्ज पर राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिन्ता मुखर की है। लेकिन वीरभद्र ने बेरोजगारी भत्ता देने के मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। वीरभद्र यहां तक कह गये हैं कि वह चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य ही नही थे और वह इस वायदे को मानते ही नही है।

यह सही है कि आरोप पत्र तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष जीएस बाली थे और घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष आनन्द शर्मा थे। लेकिन जब आरोप पत्र सौंपा गया था तब वीरभद्र साथ थे और जब घोषण पत्र जारी किया गया था तब भी वह इसमें शामिल थे। लेकिन दोनों ही मामलों पर वीरभद्र ने जिस तरह से अपने आप को संगठन से अलग कर लिया है वह राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में एक अलग चर्चा का विषय बन गया है। संभवत: इसी कारण आनन्द शर्मा को भी एक पत्रकार वार्ता करके बेरोजगारी भत्ते पर अपना पक्ष रखना पड़ा है। लेकिन आनन्द शर्मा पूरी स्पष्टता के साथ न तो इसके पक्ष में और न ही इसके विरोध में खड़े हो पाये है। उन्होने इस पर केवल वीरभद्र से बात करने की बात की है। वह भी चुनाव घोषणा पत्र के वायदों पर हुए अमल को लेकर एक समीक्षा बैठक के दौरान। चुनावी घोषणा पत्र और उसके बाद अब तक के कार्यकाल में हुई विभिन्न घोषणाओं पर कितना अमल हुआ है इसको लेकर एक बैठक की जायेगी। जो वायदे/घोषणाएं पूरी नही हो पायी है उन पर संगठन और सरकार का रूख क्या होगा इसको लेकर कुछ नही कहा जा रहा है। क्योंकि वीरभद्र जिस तरह की कार्यशैली से काम कर रहे है उससे स्पष्ट हो जाता हैं कि इस समय सरकार के साथ-साथ वीरभद्र संगठन का भी पर्याय बनते जा रहें है।

वीरभद्र ने संगठन में हुई विभिन्न नियुक्तियों को लेकर कई बार यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इन नियुक्तियों को कोई ज्यादा अधिमान नही देते है। जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर जो टिप्पणी अभी हाल ही में वीरभद्र सिंह ने की है उस पर आनन्द शर्मा का यह कहना कि इसमें भविष्य में सुधार करने की आवश्यकता है अपने में एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। आनन्द शर्मा ने वीरभद्र के संगठन के प्रति इस तरह के रिमार्कस पर कोई सीधा स्टैण्ड नही लिया है। बल्कि एक तरह से वीरभद्र का समर्थन ही किया है इसी के साथ आनन्द शर्मा ने अब तक वीरभद्र सरकार की सफलताओं/असफलताओं पर भी खुलकर कोई प्रतिक्रिया वयक्त नही की है। लेकिन कभी प्रदेश अध्यक्ष का खुलकर समर्थन भी नही किया है। वीरभद्र संगठन के काम काज से संतुष्ट नही है ऐसे संकेत वह कई बार दे चुके है। इस चुनावी वर्ष में उनका यह प्रयास रहेगा कि संगठन की बागडोर भी उनके किसी विश्वस्त के हाथ ही रहे। इस दिशा में वह कई बार प्रयास कर भी चुके हैं। लेकिन उन्हे सफलता नही मिली है। अब आनन्द शर्मा ने अपरोक्ष में एक बार फिर वीरभद्र का समर्थन ही किया है। आनन्द केन्द्र में वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं और इस समय राज्य सभा में पार्टी के उपनेता है। इस नाते हाईकमान के विश्वस्त भी है। वीरभद्र के नाम से जब उनके समर्थकों ने ब्रिगेड का गठन कर लिया था। (जिसे बाद में भंग कर दिया गया था) उस मुद्दे पर आनन्द ही ऐसे बड़े नेता है जिनकी इस पर कोई प्रतिक्रिया नही आयी थी। अब यह बिग्रेड एक एनजीओ बन गया है और इसके अध्यक्ष ने सुक्खु के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर रखा है। लेकिन कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता इस पर कुछ भी नही बोल पा रहा है। जबकि यह एनजीओ राजनीतिक संगठन की तर्ज पर ही सक्रिय है। कांग्रेस सरकार और संगठन में एक समय कौल सिंह, जीएस बाली, आशा कुमारी, राकेश कालिया और राजेश धर्माणी ने विरोध के स्वर मुखर करने का प्रयास किया था लेकिन आज जीएस बाली को छोड़कर बाकी सभी खामोश होकर बैठ चुके है। इस समय वीरभद्र सरकार और संगठन का पर्याय बनते जा रहे है क्योंकि आरोप पत्र और घोषणा पत्र से जिस लहजे में उन्होने किनारा किया है और संगठन की नियुक्तियों को स्पष्ट शब्दों में अप्रसांगिक करार दिया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है। ऐसे में विपक्ष भी सबसे अधिक वीरभद्र को ही अपने निशाने पर रखेगा। विपक्ष का मुकाबला भी वीरभद्र को अकेले अपने ही दम पर करना पड़ेगा। संगठन और सरकार में इस परिस्थिति में कौन वीरभद्र का कारगर सहारा बनेगा इसको लेकर कोई तस्वीर अब तक साफ नही है और वीरभद्र के लिये आने वाले समय में यह एक बड़ी चुनौति होगा।

राज्यपाल से कर्नल बी.एस.नगियाल की भेंट

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत से राजभवन में 133 इन्फेंटरी बटालियन (प्रादेशिक सेना) पर्यावरण (डेगरा) के कमांडर अधिकारी कर्नल बी. एस. नगियाल ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को गत 10 वर्षों के दौरान विकृत भूमि पर वनीकरण में यूनिट की उपलब्धियों के बारे अवगत

करवाया। उन्होंने राज्यपाल को इकाई का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।

राज्यपाल ने राज्य विशेषकर सतलुज तथा ब्यास नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में हरित आवरण में सुधार के लिए प्रादेशिक सेना के प्रयासों की सराहना की और राज्य में यूनिट की गतिविधियों व उपलब्धियों पर सन्तोष जाहिर किया।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि बटालियन इस वर्ष अपनी स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है और 10 वर्षों में 32 लाख से अधिक पौधों का रोपण कर एक महान कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां राज्य के हरित आवरण में वृद्धि तथा पारिस्थितिकीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में मद्दगार होंगी।

उन्होंने कहा कि बहुमूल्य पर्यावरण को बचाना अति महत्वपूर्ण है और प्रत्येक को पर्यावरण संबंधी गतिविधियों से जोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि विशेषकर युवाओं को इस प्रकार के अभियान से जोड़ना चाहिए, ताकि हरे-भरे विश्व की परिकल्पना को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे देश के युवाओं को उन्हें खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक बेहतर अवसर प्रदान होता है, ताकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका आहवान किया जा सके।

राज्यपाल ने उनके सिद्धांत 'वीर हिमाचल एण्ड ग्रीन हिमाचल' की सराहना की और भविष्य में पर्यावरण से जुड़े कार्यों को जारी रखने की आशा जताई तथा अधिकारियों से युवाओं को उनके इस मिशन में जोड़ने को कहा।

कर्नल नगियाल ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि यूनिट वनीकरण के कार्यों के अलावा भू-संरक्षण, चौक डैमों का निर्माण, वन महोत्सवों का आयोजन, स्थानीय लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करना, जिसके परिणामस्वरूप पेड़ों के कटान में रोक तथा वनों में आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने जैसी गतिविधियां में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।

उन्होंने अवगत करवाया कि बटालियन ने 32 लाख पौधे लगाकर 2994 हेक्टेयर बंजर भूमि को कवर किया है और पौधों की जीवतंता 65 से 70 प्रतिशत रही है।

ले. कर्नल रणधावा सेकेंड-इन-कमांड तथा मेजर जितेंद्र एडजुटेंट सहित बटालियन के अन्य अधिकारी भी कमांडिंग अधिकारी के साथ उपस्थित थे।

राज्यपाल ने किया बालकृष्ण की हिमाचली एलबम का विमोचन

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन शिमला में गायक एवं संगीतकार पंडित बालकृष्ण शर्मा की हिमाचली एलबम 'आजा मेरी जानिए' का विमोचन किया।

संगीत के माध्यम से हिमाचली संस्कृति के संरक्षण में पंडित बालकृष्ण शर्मा के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि संगीत आत्मा और मन दोनों को प्रभावित करता है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में संगीतकारों को समाज उत्थान की दिशा में भी कार्य करना चाहिए। इसके लिए समाज की ज्वलंत समस्याओं जैसे नशे के खिलाफ, बेटी बचाओ और जल संरक्षण पर गीत लिखकर कला के इस सशक्त माध्यम से लोगों तक पहुंचा जा सकता हैं, ताकि उनमें जागृति लाई जा सके और नव निर्माण किया जा सके।

राज्यपाल ने कहा कि नशे ने युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। इसलिए यह जरूरी है कि ऐसा नया संगीत आए, जो इस बुराई से बचने का रास्ता दिखाए। इसके अतिरिक्त, समाज को ऐसा संगीत परोसा जाए, जो समाज निर्माण के साथ-साथ राष्ट्र भक्ति की भावना युवा पीढ़ी में जगा सके। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या एक सामाजिक कलंक है और इसके लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के अनेक प्रयास होते रहे हैं। उन्होने कहा कि इस दिशा में भी संगीतकारों को और योगदान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति अद्भुत है। यहां हर जिले का अपना लोक संगीत है, जो स्थानीय लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। हालांकि, यह संगीत हमें मेलों व त्यौहारों पर आयोजित समारोहों में सुनने को मिलता है। लेकिन, प्रयास होने चाहिए कि इस अमूल्य संस्कृति व संगीत को बचाया जा सके।

राज्यपाल ने संगीतकार पण्डित बालकृष्ण से संस्कृति के संरक्षण के उनके प्रयासों को जारी रखने का आग्रह किया।

इस मौके पर, हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद के अध्यक्ष तथा रेल मंत्रलय एवं संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार डा. सुनील जोगी भी उपस्थित थे। उन्होंने राज्यपाल को हिन्दी साहित्य में उनके योगदान से अवगत करवाया। उन्होंने सामाजिक विषयों पर लिखी अपनी कुछ कविताएं भी पढ़ीं। कविताओं के माध्यम से बेहतर संदेश के लिए राज्यपाल ने डा. जोगी की प्रशंसा की।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

शिमला/शैल।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व, सहकारिता, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, लोक निर्माण, वित्त, आवास, शहरी विकास, नगर नियोजन तथा सचिव वन/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आयुर्वेद/आरपीजी, परिवहन/तकनीकी शिक्षा, उद्योग/शिक्षा/एलईपी, गृह/स्वास्थ्य, बागवानी, सचिव सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास/आबकारी एवं कराधान, निदेशक सैनिक कल्याण, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक हि.प्र. पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर इसके सदस्य होंगे, जबकि सैनिक कल्याण सचिव सदस्य सचिव होंगे।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा बोर्ड में 87 गैर सरकारी सदस्यों का भी नामांकन किया गया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की अवधि तीन वर्ष के लिए होगी और भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध विधवाओं तथा उनके आश्रितों के कल्याण का कार्य देखेगा और उनकी समस्याओं/शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करेगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठक कम से कम 6 माह में एक बार अवश्य होगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rate tenders are herby invited /re-invited on form No. 6&8 by the Executive Engineer, HPPWD Division Barsar on behalf of Governor of H.P. for the following works from the approved and eligible contractors/firms enlisted in H.P. P.W.D.in the appropriate class so as to reach in this office on or before 27.03.2017 to 10:30A.M. and will be opened on the same day at 11:00 A.M. in The presence of intending contractors or their authorized representative. the tender form can be had from this office against cash payment (Non-Refundable) on 25.03.20167 upto 4:00 PM. The offer of the tender shall be kept open for 120 days.

Name of Work No.1:- C/o Sohari Kachwin road (SH:- C/o 900mm dia hume pipe culvert at various Rds.) Under SCSP Estimated Cost 6,20,057/- Earnest Money 12400/- Time Four Moth Cost of form 350/-

Name of work No. 2:- Imp. Of black spot on Salouni Bijhari Deotsidh road (Sh. Extention of 3.00 mtrs span R.C.C. slab culvert at rd. 9/750) Estimated Cost 2,72,032/- Earnest Money 5450/- Time Three Month Cost of form 350/-

Name of work No.3:- C/o Harizan Basti from Pahloo Khas via Kapariana Panjeri (SH:- C/o 900mm dia RCC hume pipe culvert at rd. 0/240 along with wing) Under SCSP Estimated Cost 1,59,965/- Earnest Money 3200/- Time Four Moth Cost of form 350/-

TERMS AND CONDITIONS:-

No. 1. The Earnest Money in the shape of National saving certificate /Time deposit Accounts/ Saving Account /FDR in any of the post office National Bank in duly pledged in favour of the Executive Engineer Barsar must b accompanied with the application.

No. 2. Conditional tenders received without earnest money will out rightly be rejected.

No. 3. The contractor shall accompany has enlistment/ renewal order with his application for obtaining the tender documents.

No. 4. Executive Engineer Reserves the right to reject the tender without assigning any reason.

No. 5. The work will be completed by the contractor without the stipulated period.

No. 6. Tender forms will not be issued to those contractors who are registered under HPGST Act, 1988 & photo copy of individual PAN No. allotted to them attached with their application at the time of applying for tender documents. Application will not be entertained without aforesaid documents.

No. 7. The contractor /firms are required to insert the rate of each item in words as well as in figures failing which Executive Engineer reserves the right to accept/ rejects any overall tender.

No. 8. The Tender shall be issued to only those contractors /firm ho are found eligible suitable and competent.

No. 9. . The tender shall be issued to eligible contractor depending upon their past performance and work experience which shell be duly evaluated by the technical evaluation committee.

No. 10. The Tender forms of soling , wearing and tarring shell be issued only to those contractors who will produce proper documents of ownership of required machinery and completion certificate of similar work issued by the concerned Executive Engineer also required.

No. 11. Bituman for patch work /Pot holes repair shell be arranged by the contractor himself and contractor /firm having necessary documents past adequate experience shell be preferred.

No. 12. Contractor who have failed to start /complete the work in hand with in reasonable time shell not be issued tender form.

No. 13. Ones contractor should not have more works in hand at a time.

No. 14. If 25-03-2017 happens to be holiday the tender shall be opened on next working day at 11:00A.M

Adv. No.- 4371/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"E-PROCUREMENT NOTICE"

Sealed item rate on form No. 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Tauni Devi Division HPPWd Tauni Devi for the following works on behalf of the Governor of Himachal Pradesh from the approved and eligible contractors enlisted in JHPPWD so as reach in this office as per time schedule given below:

1.Date receipt of Applications for tender forms : 21.02.2017 upto 4:00PM
2. Date of issue /sale of Tender forms 22.03.2017 upto 5:00PM
3. Date of receipt of tender: 23.03.2017 upto 10:30AM
4. Date of opening of Tender : 23.03.2017 at 11:00 AM.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Limit	Cost of form
1.	C/o Combined Office Building at Samipur Distt. Hamirpur (HP) (SH:- Balance work of building portion i/c W.S. & S.I.)	78312/-	15800/-	Three Months	350/-

The tender documents shall be issued only to those contractors/ firms who fulfill the following criteria and submit the following documents with the application.

1. The valid enlistment/ registration of contractors/firms appropriate class.
2.Permanent Account Number (PAN)
3. Sale Tax/ VAT/TIN registration under H.P. General Sale Tax Act. 1968.
4. Earnest Money in the shape of National Saving certificate/Time deposit Account in any of the Post office in HP F.D.R. from any National Bank (i/c Kangra Central Cooperative Bank) duly pledged in favour of the Executive Engineer
5. The earnest money & cost of tender form for the above works should be submitted with the application for the purchase of the tender forms The application received without earnest money & const of tender form shall summarily be rejected.
6. Tax Clearance Certificate (T.C.C) issued from the concerned Excise and Taxation department.
7. Ambiguous /telegraphic /conditional tenders or reject or cancel any or all the tenders without assigning any will summarily be rejected.
8. Executive Engineer reserves the right to reject or cancel any reasons.
9.The offer of the tender shall remain valid upto 120 days after the opening of tender.
10. If the date given above happens to be a holiday the same shall be processed on next working day.
11. The contractors /firms must quote their rates in words as well as in figures which XEN reserves the right to accept/reject any or all tenders.
12. The tender forms will not be issued to those contractors/ firms whose previous performance is not found satisfactory and who have not executed/ completed the previous awarded works within the stipulated period of completion.
13. One contractor should not have more then two major works in hand at a time.
14. Works should be completed by the contractor within the stipulated period.
15. Works completion and work in hand certificate issued by the concerned Executive Engineer must be attached with the application for of tender form.

Adv. No.- 4420/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

नोटबन्दी ने मुसीबत में डाला देश:वीरभद्र

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र में खारी-का-खाला के ऊपर 3.64 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पुल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए नोटबन्दी के फैसले से देश सहित प्रदेश की आर्थिक प्रगति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि यह देश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, जिससे लोग अपना ही पैसा बैंकों से निकालने के लिए प्रतिबन्धित हुए। इस फैसले से जहां देश की आर्थिकी को भारी झटका लगा वहीं राज्य के किसानों व बागवानों को भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े नोटों की बन्दी को लागू करने से पूर्व आवश्यक प्रबन्ध किए जाने चाहिए थे, ताकि किसानों, छोटे व्यापारियों व खून-पसीना बहाकर दो वक्त की रोटी अर्जित करने वाले दिहाड़ीदारों के हित सुरक्षित रह पाते।

वीरभद्र सिंह ने हरियाणा राज्य के साथ लगते जिले के दूरदराज गांव भेड़ों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राजकीय माध्यमिक पाठशाला ढाकवाला -खेरवाला को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने तीन बोरवैल स्थापित करने की भी घोषणाएं की। उन्होंने देवनी लाल पीपल सड़क को पक्का करने की घोषणा की और इसके लिए 16 लाख रुपये स्वीकृत किए। उन्होंने विक्रम बाग-मंधेरवा और डाढूवाला के लिए पैदल पुल के निर्माण की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड द्वारा खजुरना-बिक्रमबाग-कालाअम्ब वाया सुकेती-त्रिलोकपुर 21 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की।

वीरभद्र सिंह ने मारकंडा नदी पर पुल के निर्माण कार्य को एक वर्ष के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने गत चार वर्षो के दौरान पूरी की गई विकासात्मक परियोजनाओं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

हिमफेड के अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक तथा भाजपा सरकारों द्वारा क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सिंबलवाला, ग्राम पंचायत बिक्रम बाग पंचायत के खैरवाला तथा ग्राम पंचायत देवनी के खादरी गांव में पेयजल के लिए बोरवेल की घोषणा करने का आग्रह किया। उन्होंने नाहन-बिक्रम बाग बस सेवा को काला अम्ब वाया सुकैती तक बढ़ाने और बिक्रम बाग-मंधेरवा तथा ढाढूवाला पैदल पुल तथा दांडीपुर के लिए लगभग एक किलोमीटर सड़क को लोक निर्माण विभाग को सौंपने का आग्रह किया। उन्होंने कोंथरो में पेयजल सुविधा तथा भेड़ों में आयुर्वेदिक औषधालय का भी आग्रह किया।

जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अजय सोलंकी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए प्रदेश में हुए अभूतपूर्व विकास के लिए उनका आभार प्रकट किया तथा लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अपना सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने राजकीय माध्यमिक पाठशाला ढाकवाला-खेरवाला को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ आंतरिक क्षेत्रों विशेषकर देवनी-लाल पीपल के लिए बस सेवाएं तथा सम्बन्धित सड़क को पक्का करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने रखी 37 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिलाएं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नाहन विधानसभा क्षेत्र में 36.73 करोड़ रुपये की विभिन्न

विकास परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी।

उन्होंने नाहन में 6.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इंडोर स्टेडियम, मारकंडा नदी पर 9.26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले खादरी पुल तथा 3.64 करोड़ रुपये की लागत से खारी-का-खाला पर पुल की आधारशिलाएं रखीं।

मुख्यमंत्री ने भूदरियों में 2.47 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल, पालियो में रूण नदी पर 3.83 करोड़ रुपये के पुल, मारकंडा नदी पर ढिमकी में 3.15 करोड़ रुपये के पुल, रामपुर में कौंथरी खाला पर 3.58 करोड़ रुपये के पुल, मंडी खाला पर 3.15 करोड़ रुपये के पुल तथा डोईवाला से खेरी गांव के लिए 1.05 करोड रुपये की लागत से पक्की सड़क के लिए भी आधारशिलाएं रखीं।

राज्य का कुल अपेक्षित कर राजस्व 7200 करोड़

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के गत चार वर्षो के दौरान राज्य के राजस्व सृजन में महज 30 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, के इस ब्यान को सही व तथ्यों पर आधारित नहीं है।

राज्य सरकार ने कहा कि वर्ष 2012-13 में कुल कर राजस्व 4626 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 6695 करोड़ रुपये हो गया है और वर्ष 2016-17 में बढ़कर लगभग 7200 करोड़ रुपये अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, वर्ष 2012-13 में गैर कर राजस्व 1376 करोड़ रुपये था, जो चालू वर्ष में बढ़कर 1555 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार राज्य के कर तथा गैर कर राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007-08 में कर राजस्व 1958 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2012-13 में 4626 करोड़ तक पहुंच पाया, अर्थात 2600 करोड़ के आस-पास ही बढ़ा, न कि 4000 करोड़ रुपये जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि राजस्व केवल 30 करोड़ रुपये बढ़ा है पूर्व मुख्यमंत्री का यह ब्यान सच्चाई व तथ्यों से परे है।

एचपीसीए के खिलाफ विजिलैंस मामला लम्बित

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि मीडिया में प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के खिलाफ रद्द किया गया मामला विजिलैंस मामला नहीं था। एचपीसीए के खिलाफ विजिलैंस द्वारा दर्ज किया गया मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है, जिसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में दो अन्य मामले भी लम्बित हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया मामला कांगड़ा जिला पुलिस द्वारा देखा जा रहा था, जो सरकारी भूमि के अएचपीसीए के खिलाफ विजिलैंस मामला लम्बित अधिग्रहण से संबंधित था। इस मामले में अनुराग ठाकुर के व्यक्तिगत संलिप्त होने का सबूत न मिलने पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस सन्दर्भ में आवश्यक कदम उठाएगी।

गम्भीर आरोपों के अन्य लम्बित पड़े विजिलैंस मामलों को इस मामले से उलझाया जा रहा है। गम्भीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एचपीसीए द्वारा विजिलैंस मामले को खारिज करने की अपील को रद्द कर दिया था, जिसके फलस्वरूप एचपीसीए ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। मामले की सुनवाई 29 मार्च, 2017 हो होगी।

वनों के आवरण बढ़ाने में वन अधिकारियों व कर्मचारियों को महत्वपूर्ण योगदान

शिमला/शैल। ठाकुर सिंह भरमौरी वन एवं मत्स्य मंत्री हिमाचल प्रदेश ने शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हरित आवरण में बढ़ौतरी हो रही है। इस आवरण को बढ़ाने में हिमाचल प्रदेश में कार्यरत वन

अधिकारियों व कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह शब्द ठाकुर सिंह भरमौरी वन एवं मत्स्य मंत्री हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सचिवालय में, हिमाचल प्रदेश वन सेवा कल्याण संघ की नव निर्वित कार्यकारणी के सदस्यों के साथ सांझा किए। भरमौरी के अनुसार हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है तथा यहां वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। वन मन्त्री के अनुंसार प्रदेश ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण उत्तर भारत के लिए हिमाचल के वनों का एक महत्व है, यहां किए गए वानिकी कार्य सम्पूर्ण उत्तर भारत के पर्यावरण को सन्तुलित करने में योगदान देते हैं। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें अपने कार्यो को पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए तथा अपने कार्यो में आधुनिक दौर के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। उनके अनुसार वन अधिकारी व कर्मचारी दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें वहां के लोगों की आवश्यकता के अनुसार वानिकी कार्य करने चाहिए, जिससे न केवल पर्यावरण बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो पाए।

गौरतलब है राज कुमार डोगरा वन मण्डलाधिकारी ऊना, हि.प्र. वन सेवा, कल्याण संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष के साथ कार्यकारिणी के सदस्यों ने वन एवं मत्स्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के साथ शिष्टाचार बैठक की। बैठक में संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों ने माननीय वन मन्त्री के साथ हिमाचल प्रदेश में वन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। मन्त्री ने कहा कि प्रदेश वन सेवा के अधिकारी एक धूरी के समान हैं, वे उच्च अधिकारियों व क्षेत्रीय कर्मचारियों के बीच एक कडी का कार्य करते हैं। वन सेवा की कार्यकारिणी के सदस्यों ने पिछले दिनों तरूण कपूर, प्रधान सचिव वन तथा एस. एस. नेगी प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश के साथ भी मुलाकात की थी।

अरूण अपनी खलड़ी में रहें और अपना कद देखकर ब्यानबाजी करे : कांग्रेस

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि उन्होंने अपने पुत्रों को भारतीय संस्कारों से कोसो दूर रखा है। उन्होंने कहा कि उनके पुत्र जिस प्रकार से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उससे साफ है कि उनके मानवीय संस्कारों में भारी कमी है।

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर, महासचिव राम लाल ठाकुर, कुलदीप पठानिया, प्रवक्ता डा. सुभाष मंगलेट व केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ अरूण की अभद्र भाषा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा है कि वह किस क्षमता और किस आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी घटिया ब्यानबाजी कर रहा है। अरूण का देश व प्रदेश की राजनीति में क्या अस्तित्व है तथा क्या अरूण अपने आपको थानेदार या जज बन बैठा है जोकि मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी घटिया मानसिकता व अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अरूण द्वारा लोकतंत्र में चुने गए नेता का अपमान किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ऐसी ब्यानबाजी कर वह प्रदेश में जनमत का तो अपमान कर ही रहा है साथ ही प्रदेश के लोगों का अपमान भी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ पूर्व में भाजपा द्वारा रचे गए षड़यंत्रों से प्रदेश के लोग भली-भांति परिचित हैं। पिछले चार वर्षो में प्रदेश सरकार को भाजपा द्वारा अस्थिर करने की पूरी कोशिश की गई। इसमें जब वे सफल नहीं हुए तो अब मुख्यमंत्री के खिलाफ अनाप-शनाप ब्यानबाजी कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जोकि निंदनीय है।

कांग्रेस नेताओं ने अरूण को अपनी खलड़ी में रहने की सलाह देते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ बोली गई अभद्र भाषा के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अरूण को अपना कद देखकर ही किसी के खिलाफ ब्यानबाजी करनी चाहिए, वैसे अभी राजनीति में अरूण शून्य है, इसलिए उसे राजनेताओं के खिलाफ ब्यानबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है।

जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इन्द्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है.....चाणक्य

सम्पादकीय

कालीखोपुल के नोट पर चुप्पी क्यों

अरूणाचल के स्वर्गीय मुख्यमन्त्री कालीखो पुल ने 9 अगस्त 2016 को आत्महत्या कर ली थी। उनकी आत्महत्या के बाद उनके आवास से एक 60 पन्नों का नोट बरामद हुआ है। इस नोट के हर पन्ने पर उनके हस्ताक्षर हैं। नोट के अन्तिम पृष्ठ पर 9 अगस्त को हस्ताक्षर हुए हैं और उसी दिन पुल्ल ने आत्महत्या की है। इसलिये उनके इस नोट को Dying declaration करार दिया जा सकता है और उनके इस ब्यान को हल्के से नज़रअन्दाज नही किया जा सकता। कालीखो पुल को सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के तहत मुख्यमन्त्री पद से हटाया गया था। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अरूणाचल से राष्ट्रपति शासन निरस्त किया गया था। कालीखो पुल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इस कदर आहत हुए कि न्यायपालिका और राजनीति तथा राजनेताओं के प्रति उनकी सारी धारणा ही बदल गयी। इस धारणा के बदलने के कारण उन्होने इस फैसले की कोई अपील दलील करने की बजाये प्रदेश और देश की जनता के सामने इस सारी वस्तु स्थिति को रखने का फैसला लिया। 60 पन्नों का विस्तृत पत्र लिखा। हर पन्ने पर हस्ताक्षर किये और उसके बाद अपना जीवन समाप्त कर दिया।

इस नोट में देश की शीर्ष न्यायपालिका से लेकर विधायकों/मन्त्रियों और राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है। कालीखो पुल की आत्महत्या के बाद जब यह नोट बरामद हुआ और सार्वजनिक हुआ तब इस नोट पर अपनी प्रतिक्रिया में अरूणाचल के राज्यपाल राज खोवा ने इन आरोपों को गंभीर बताते हुए इसकी सीबीआई से जांच करवाये जाने की वकालत की थी। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नही किया। केन्द्र सरकार और उसकी ऐजैन्सीयां भी इस बारे में खामोश रही। राज्यपाल राज खोवा ने जब इसकी सीबीआई जांच पर ज्यादा बल दिया तो केन्द्र सरकार ने राज्यपाल राज खोवा को ही हटा दिया। इस नोट में एक मुख्यमन्त्री ने मरने से पहले जो गंभीर आरोप लगाये हैं उन्हें क्यों नज़रअन्दाज किया जा रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इस नोट पर क्यों चुप हैं? देश का कोई भी राजनीतिक दल एक मुख्यमन्त्री के इस आत्मकथ्य पर चुप क्यों है? मीडिया भी इस पर कोई सार्वजनिक बहस क्यों नही उठा रहा है?

कालीखो पुल मुख्यमन्त्री थे और इससे पहले कई सरकारों में मन्त्री रह चुके हैं यह उन्होने अपने नोट में कहा है। वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। कांग्रेस के कई लोगों पर उन्होने गंभीर आरोप लगाये है। लेकिन न्यायपालिका से लेकर नीचे तक जितने भी लोगों पर आरोप लगे है। वह सब इस पर खामोश क्यों है? खो का यह नोट सरकार की कार्य प्रणाली का एक आईना है। सरकारी कामकाज सब जगह एक ही जैसा है। हर राज्य में एक ही तरह की योजनाएं होती है। केन्द्र सरकार की योजनाएं भी हर राज्य के लिये एक ही जैसी रहती है। ऐसे में सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने में सरकारी तन्त्र कैसे काम करता है उसमें कितना जनता तक पहुंचता है और कितना बीच में ही खत्म हो जाता है इसका खुलासा पुल के इस नोट में विस्तार से है। कैसे विधायक और मन्त्री बनने के बाद हमारे राजनेता एकदम अमीर बन जाते है। इस ओर पुल्ल ने ध्यान आकर्षित किया है। स्व. पुल ने अपने पत्र में सबसे बड़ा सवाल यह उठाया है कि जब कानून की किताब नही बदलती है तो फिर उस पर आधारित फैसले बार-बार क्यों बदल जाते हैं? स्व. कालीखो पुल के नोट में सर्वोच्च न्यायपालिका और देश के सर्वोच्च शासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्वाभाविक है कि जब पुल्ल इस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाये तो फिर उनके परिजन कैसे इस लड़ाई को जारी रख पायेंगे? ऐसे में देश के प्रत्येक ईमानदार संवदेनशील नागरिक को इस नोट में उठाये गये सवालों को सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनाना होगा। पुल्ल के उठाये गये आरोपों पर सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पांच न्यायधीशों की देखरेख में एक एसआईटी गठित करके इन आरोपों की जांच की जानी चाहिये। प्रधानमन्त्री मोदी के लिये भी यह नोट एक परीक्षा पत्र है और इस पर उन्हे देश के सामने पास होकर दिखाना होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस पत्र को अपने पाठकों के सामने रख रहा हूं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य क्षेत्र को पुनर्जीवित करना

–वी श्रीनिवास–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य सरकारों को लचीला वित्त पोषण उपलब्ध कराकर ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में चार घटक शामिल हैं। जिनके नाम हैं- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य से परे ध्यान केंद्रित कर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है। इसलिए इसके तहत संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों के दोहरे बोझ से निपटने के साथ ही जिला और उप जिला स्तर पर बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सुधार किया गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सीख को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समन्वित किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वास्ते 26,690 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं, जो भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के दो विभागों को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत किया गया है। इस एकीकरण के परिणाम से देश के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण समन्वय देखा गया है। इसी प्रकार का एकीकरण राज्य स्तर पर भी किया गया था। इसके अलावा एनएचएम से राज्य वित्त विभागों के अधिकार क्षेत्र से बाहर राज्य स्वास्थ्य समितियों को केंद्रीय वित्तीय सहायताओं के हस्तांतरण में क्रांतिकारी बदलाव आया है। दूसरा प्रमुख बदलाव रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को एनएचएम ढांचे में शामिल करना है।

एनएचएम से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नवीनता आई है। इनमें लचीला वित्त पोषण, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के लिए संस्थानों की निगरानी, कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों में प्रबंधन विशेषज्ञों को शामिल कर राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर क्षमता निर्माण तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के राज्य संस्थानों के जरिए समय पर भर्ती के लिए सरल मानव संसाधन तरीके शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण नवाचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) की स्थापना है। इससे विभिन्न पहलों का खाका तैयार कर उसे पूर्ण योजना बनाने में मदद मिलेगी। कुछ राज्यों में भी राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वार्षिक आधार पर राज्य स्वास्थ्य समितियों के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं को मंजूरी देता है। इसके लिए आरसीएच "लेक्सी पूल, एनआरएचएम "लेक्सी पूल, संक्रामक रोगों और गैर संक्रामक रोगों के लिए "लेक्सी पूल के अंतर्गत विशेष संसाधन का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित किए गए है। राज्य स्वास्थ्य समितियों को विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के लिए दोबारा उचित संसाधन और जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वित्तीय सहायता के हस्तांतरण करने में काफी स्वायतत्ता है।

एनएचएम का प्राथमिकता प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण प्रभाव से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है और बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में लाया गया है। बड़ी संख्या में आने वाली गर्भवती महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में उचित बुनियादी ढांचा तैयार करने के वास्ते एनआरएचएम "लेक्सी पूल संसाधनों का उपयोग किया गया है। गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में लाने और आपातकालीन सेवाओं के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। देश के कई राज्यों में 108 एंबुलेंस सेवा की सफलता की दास्तां दर्ज है।

एनएचएम द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव करवाने को उच्च प्राथमिकता देने का महत्वपूर्ण प्रभाव मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (अंडर 5 एमआर) पर पड़ा है। देश में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) 4 और 5 को हासिल करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। देश ने एमडीजी 6 लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है और तपेदिक, मलेरिया तथा एचआईवी के प्रसार को कम कर दिया है। देखभाल या जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर एनएचएम ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, जैसा कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार से प्रदर्शित होता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अपनी गतिविधियों में दो नए कार्यक्रम शामिल किए हैं। पहला मिशन है, इंद्रधनुष जिसके तहत केवल एक वर्ष के अंदर ही 5 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण कवरेज कर अच्छी प्रगति दर्ज की गई है। दूसरा है एनएचएम के अंतर्गत 2016 में शुरू की गई पहल कायाकल्प है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई की आदत डालने, स्वच्छता, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण है। कायाकल्प के तहत प्रतिस्पर्धा के लिए पुरस्कार देना शुरू किया गया है, जिसे सभी राज्यों ने बेहतर तरीके से लिया है और स्वच्छता मानकों में महत्वपूर्ण सुधार देखे जा रहे हैं।

एनएचम ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए जनआंदोलन शुरू किया है। सरकार ने लगभग दस लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य सेवा (आशा) कार्यकर्ता तैनात किए हैं, जो परिवर्तन एजेंट के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ता संस्थागत प्रसव कराने, नवजात शिशु और बच्चों की बीमारियों के एकीकृत प्रबंधन पर ध्यान देने और घर में नवजात शिशु की देखभाल करने के बारे में परामर्श देते हैं। एनएचएम ने ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं तैयार करने और आशा कार्यकर्ताओं के पर्यवेक्षण का निरीक्षण करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों के जरिए लोगों को भी सशक्त बनाया है। रोगी अनुकूल संस्थान बनाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रणाली गठित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्तर पर रोगी कल्याण समितियों को सक्रिय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ के साथ ही शहरी झुग्गी बस्तियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार का महत्वपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभी के लिए स्वास्थ्य परिकल्पना को साकार कर रहा है। इसकी सहज सफलता में भविष्य का स्वस्थ भारत निहित है।

''शैल'' साप्ताहिक के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित विवरण

1. प्रकाशन स्थान	:	शैल कार्यालय ऋचा पिंर्टज एण्ड पब्लिशर्ज लक्कड़ बाजार शिमला
2. प्रकाशन अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	:	बलदेव शर्मा
4. राष्ट्रीयता	:	भारतीय
5. प्रकाशक का नाम	:	बलदेव शर्मा
6. पता	:	ऋचा पिंर्टज एण्ड पब्लिशर्ज रिवोली बस स्टैण्ड लक्कड़ बाजार शिमला
7. सम्पादक का नाम	:	बलदेव शर्मा
8. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो समाचार पत्र के स्वामी और भागीदार या कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक सांझेदार/हिस्सेदार हों	:	कोई नही

मैं बलदेव शर्मा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

(बलदेव शर्मा)

कालीखो पुल का मृत्यु से पहले लिखा नोट

कालीखो पुल अरूणाचल के मुख्यमन्त्री थे। उन्होने अरूणाचल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान छेड़ रखा था। लेकिन इस भ्रष्टाचार में प्रदेश के शीर्ष राजनेताओं की संलिप्तता जब सामने आयी तब सारे भ्रष्ट तत्वों ने सरकार के तख्ता पलट का षडयंत्र रच दिया। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गयी। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया औरे इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जा पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन निरस्त कर दिया। खो को पद त्यागना पड़ा। इस परिस्थिति में खो के पास दो विकल्प थे एक था अदालत में लड़ाई लड़ने का और दूसरा था सारी स्थिति को प्रदेश की जनता के सामने रखने का। उन्होने दूसरा विकल्प चुना एक 60 पन्ने का विस्तृत नोट लिखा। 8 अगस्त को यह नोट लिखा गया और 9 अगस्त को वह अपने आवास पर मृत पाये गये। यह हत्या थी या आत्महत्या अभी तक स्पष्ट नही हो पाया है लेकिन उनका यह हस्ताक्षरित पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसलिये इस नोट को पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

◆ जन्म – मैने एक बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए घर में जन्म लिया। मैने उम्रभर दुःख देखे है, दुःख को सहा है और बहुत बार उन पर विजय भी पायी है। लेकिन विधाता ने मेरे जन्म से ही हर एक कदम पर मेरी कठोर परीक्षा ली है। आम लोगों को मां–बाप से दुलार मिलता है, प्यार मिलता है, शिक्षा मिलती है, वहीं मेरे जन्म के 13 महीने बाद ही मां का साया छीन गया और जब मैं 6 साल का हुआ तो पिता भी भगवान को प्यारे हो गए। मेरे अपने कोई नहीं है। मां–पिता और परिवार के प्यार से मैं हमेशा वंचित रहा हूं।

◆ मैं समझता हूं कि इस दुनिया मे मैं अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाऊंगा। मैं मानता हूं कि इस दूनिया में हर इंसान मां के पेट से नंगा ही आता है और नंगा ही जाता है।(कोई भी यहां से कुछ भी लेकर नहीं जाता है) मतलब जन्म से हर कोई खाली हाथ ही आता है और एक दिन खाली हाथ ही चला जाता है। अगर हर इंसान इस बात को समझ ले तो कभी भी कहीं भी धर्म, जाति, ऊंच–नीच, अमीर गरीब के नाम पर झगड़े नही होंगे और न ही धन–दौलत, जमीन जायदाद, सत्ता शक्ति और प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी।

◆ मैं जानता हूं की जब इंसान जन्म लेता है तो वह नाम, जाति, धर्म समाज, भाषा, क्षेत्र, धन–दौलत, जमीन–जायदाद कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर आता है। लेकिन आज इंसान इन बातों को भूलता चला जा रहा है। वह इन चीजों के लिये मरने–मारने तक को तैयार हो जाते हैं जबकि इस अटल सच को भूल जाता है कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूं। मैने जिन्दगी को हमेशा से सच दिखाने वाले आईने की तरह देखा है।

◆ मैंयह जानता हूंकि इस दूनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। अपने शरीर के अलावा हम जो भी पहनते हैं घर में जो भी सामान है, रूपया–पैसा, धन–दौलत, गाड़ी, जमीन–जायदाद, शक्ति–सत्ता और प्रतिष्ठा जिनके ऊपर मैं–मैं–मैं और मेरा– मेरा कह कर उसके लिये हम लड़ते हैं और हम मालिक बनते है वह असल में मेरा है ही नहीं।

''जो आज मेरा है, वह कल किसी और का था। परसों किसी और का हो जायेगा परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन परिवर्तन को नियम के तहत और सही ढंग से होना चाहिए।''

◆ **बचपन** – मैने बचपन से ही जिन्दगी से लड़ना सीख लिया था। फिर चाहे वह लड़ाई रोटी की हो या अपने हक ही। बचपन में एक वक्त की रोटी के लिए मैं मीलों दूर रास्ता तय कर जंगल से लकड़ियां लाता था। गरीबी और लाचारी की मार झेलते हुए मैने दिन में 1.50 पैसे पर भी मजदूरी (Carpenter) का काम किया है। जिससे मै 45 रूपये महीने कमाता था। आज भी Carpentar का वह सामान मेरे पास रखा है।

◆ **शिक्षा** –मैं बचपन में नियमित दिन का स्कूल नही जा पाया लेकिन अपने Carpentay कामों के साथ–साथ मैंने (Adult Educatiuon Center walla) से पढ़ाई की। मेरी मेहनत और लग्न को देखकर स्कूल प्रशासन ने मेरी परीक्षा ली और मुझे सीधा छठी कक्षा में दाखिला दे दिया गया। फिर मैंने जब दिन के स्कूल में दाखिला लिया, तब रात में चौकीदारी करता था। जिसमें सुबह 5 बजे राष्ट्रीय झंडे को फहराता था और शाम को 5 बजे झंडे को उतारता था। जिससे मुझे 212 रूपये महीने की आमदनी होती थी।

◆ **ठेकेदारी:** अपने जीवन में मैने सबसे पहले 400 रूपये में एक OBT घर बनाने का ठेका लिया था जिसके बाद अपने जिले और राज्य में बहुत सी सड़के, सरकारी मकानों और पुलों का निर्माण किया। 11–12 कक्षा तक पहुंचते–पहुंचते मेरे पास खूद की जिप्सी गाड़ी ओर चार ट्रक गाडी थी जिसे मैं व्यापार के काम में लगाता था।

◆ कॉलेज पहुंचने तक मेरा व्यापार काफी आगे बढ़ गया मेरे पास गाड़ी–घोड़ा नौकर–चाकर और खुद का एक छोटा सा RCC का मकान भी था। जिसमें 3 कमरे थे। आज 23 साल तक मंत्री पद पर रहते हुए भी मैने उससे आगे 1 भी कमरा नहीं बढाया है। Khupa में एक छोटा सा घर है। जिसे मैने 1990 में Tinnsukia SBI Bank से Personal Loan लेकर बनाया था। Hayuliang में एक घर है जिसे मैने Tezu SBI Bank से Loan लेकर बनाया था।

◆ विधायक बनने से पहले मेरे पास Saw_cum_Veneer Mill भी थी जिसके तहत मुझे हर साल 46 लाख रूपये की आमदनी होती थी मैं अपने छात्र जीवन से ही करोड़पति बन गया था। जिस पर मैने कभी घंमड नहीं किया। भगवान गवाह है कि मैने कभी धन–दौलत, घर–बंगला, गाड़ी–घोड़ा नौकर–चाकर, सत्ता और प्रतिष्ठा को अपनी जागीर नहीं समझा और न ही इन चीजों पर कभी गर्व व घंमड किया है। मैने हमेशा से ही इंसानियत की सुरक्षा और गरीबों की सेवा को ही अपना कर्म समझा है और अब तक उन्ही के हित लिए काम कर रहा हू

◆ मैं बडे फक्र से कह सकता हूं कि मैं खूद अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं लेकिन मैने कभी इस बात पर गुमान नही किया। मैने अपने रूपयों से हमेशा गरीब, गरीब, लाचार, अनाथ और जरूरतमंद लोगों की सहायता की है। आज भी मै 96 गरीब लडके–लडकियों को पढ़ाने के साथ उनका सालाना खर्च भी उठाता हूं।

◆ जब मै 26 दिसम्बर 1994 को राजनीति से जुडा उसके अगले ही दिन मैने अपने 2 Business Trading License को DC कार्यालय में वापस कर समर्पण कर दिया। क्योंकि जब मै राजनीति में आ गया हूं। तो इस व्यापार के साथ मिलना नही चाहता था जब मै कभी भी राजनीतिक में नहीं आना चाहता था लेकिन मुझे जनता ने जबरदस्ती राजनीति में उतारा है। लोग राजनीति में अपने स्वार्थ के लिऐ आते हैं लेकिन अगर कोई इसे ईमानदारी से अपनाएं तो इससे अच्छा सेवा और भलाई का काम कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक नेता के बात कर देने से एक फोन कर देने से या एक सिफारिश कर देने से किसी सभा में प्रस्ताव रख देने से समाज और जनता का काम हो जाता तो इससे भला बड़ा खुशी ओर अच्छा काम क्या हो सकता है।

◆ वर्ष 2007 में भी मुझे मुख्यमन्त्री बनने का मौका मिला था उस वक्त मैंने मना किया था। वर्ष 2011 में भी मुझे फिर से मुख्यमन्त्री पद के लिए दावेदारी दी गयी जिसे भी मैंने फिर से ठुकरा दिया था। क्योंकि मै जानता था की मेरे साथी विधायक और मंत्री मुझे सिस्टम से, नीति से, कानून से और सविधान के तहत चलने नही देंगे। जब तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो मैने उसे स्वीकार और मेरी इच्छा, सपना और कोशिश थी कि मेरा पिछड़ा राज्य और गरीब जनता हर क्षेत्र में आगे बढ़े सड़क–यातायात ठीक हों। लोगों को शुद्ध– स्वच्छ और नियमित पानी मिले अच्छी व उच्च शिक्षा मिले। बेहतर और सुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिले और बिना रूके 24 घंटे हर घर, हर परिवार को बिजली व्यवस्था मिले हर जाति और समाज को शांत ओर सुरक्षित माहौल मिले, लोगों का रहन–सहन व आमदनी बढ़े। सभी लोग उन्नत और विकासशील हो। राज्य के हर घर में खुशहाली हो। आम जन हर प्रकार से आगे बढ़े। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और उन कामों को मुकाम देने के लिए मैंने अपने तन–मन, दिमागी–चिंतन, सोच –विचार, कठिन मेहनत और लगन से राज्य को ऊंचाई देने व जनता की भलाई, उन्नति और बेहतर कल के लिए हर घड़ी, हर पल काम किया है। लेकिन शायद मेरे साथी मंत्रियों ओर विधायकों को यह बात मंजूर नही थी। क्योंकि उनके लिए मंत्री व विधायक बनने का मतलब कुछ और ही होता होगा। यही कारण है कि मैं राजनीति से दूर रहना चाहता था।

मैंने अपने 23 सालों की राजनीति में अलग– अलग मंत्री पदों पर रहते हुए राज्य के विकास में हर संभव योगदान दिया है जो अपने विधानसभा क्षेत्र और पूरे राज्य मे भी किया है। लेकिन इन कामों पर हर किसी की नजर नहीं गयी। मेरे 23 साल के राजनीतिक जीवन में मैने बहुत से मुख्यमंत्रीयों के साथ काम किया लेकिन अपने अनुभव से मैंने देखा व समझा कि किसी भी मुख्यमत्री व मंत्री की योजना स्पष्ट नही थी। वह किसी भी योजनाओं को प्राथमिकता सही से नही दे पाये। उन्होने हमेशा राजनीति की नजरों से ही फैसला लिया। हमेशा जनता के हितों को नजरअंदाज किया और विधायक व मंत्री हमेशा आपस में हिसाब–किताब कर एक दूसरे को लाभ देने व खुश करने में ही लगे रहे।

जबकि मेरी परिभाषा यह है कि नेता बनने का मतलब केवल अपने घर–परिवार, सगे–संबधी और दोस्तों को फायदा पहुंचाना नहीं है। मंत्री, विधायक, बड़े अधिकारी एक दूसरे की मदद के लिए नहीं आये है। बल्कि राज्य के पूर्ण विकास व गरीब जनता की सेवा के लिए ही उन्हें चुना जाता है। मेरे 23 साल के अपने राजनीति अनुभव में मैने नेताओं को इसके बिल्कुल उल्टा ही काम करते देखा है। वह लोग सिर्फ एक दूसरे को बड़े नेता, बड़े अधिकारी और बड़े व्यापारियों को ही मदद व फायदा पहुंचाने का काम करते रहे है।

मेरे साढ़े चार महीने के अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैने अपना सुख चैन, घर–परिवार, नींद–आराम को त्यागकर 24 घंटे जनता के हित में काम किया। मैने सही अर्थो में राजधर्म का पालन किया है। इतना ही नहीं मैने राज्य में विभिन्न विभागों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और कानून में 11,000 से ज्यादा पदों की जगह निकाली थी। जिन्हे बिल्कुल पारदर्शक और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना था। मैंने Plan non-Plan funds को सही और योजनाबद्ध तरीके से पेश किया था। मैंने राज्य में Transfer- posting, Promotion and Appointment के लिए मत्रियों को पैसे लेने से मना किया था। जिसका शायद उन्हे बुरा लगा। Plan funds non-Plan funds, contract works, Tender works and bills payments में commission लेने के लिए भी मनाही की थी। शायद यह बात भी उन्हें बुरी लगी।

मै केवल इतना जनता हूं कि 14.15 लाख की जनसंख्या वाले राज्य में 6 MLA को चुना जाता है उनमें से 12 मंत्री बनते है। मै सोचता हूं कि वह 60 MLA उच्च शिक्षा, सामाजिकता, बेहतर नेतृत्व और उदार सोच के साथ–साथ सभी तरह से अच्छे इंसान हो जनता की सेवा और सुरक्षा को अपना धर्म मानते हो। इंसानियत को अपना ईमान और जनता की भलाई को अपना कर्म समझते हो। हमारे नेताओं को परिवार, समुदाय, जाति–धर्म और समाज से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसे नेताओं की आज जैसे कमी ही आ गयी है। आज राज्य में हर एक नेता अपनी जेब भर रहा है। अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है। जनहित से ज्यादा वह अपने, अपने–परिवार और रिश्तेदारो के बारे में ज्यादा सोच रहे है। मैने यह महसूस ही नही किया बल्कि देखा भी है। इस बात से मैं बहुत ही आहत और दुःखी भी हूं। इस राज्य के पिछड़ने का कारण भी यही है। राज्य में मंत्री–विधायक आपसी सहयोग से केवल खुद ही आगे बढ़ते है और गरीब जनता को नजरअन्दाज करते है। वही मुख्यमंत्री बडे नेताओं, बडे अधिकारियों, बडे व्यापारी को खुश करने में लगा रहता है। ऐसी स्थिति में राज्य, समाज और जनता का क्या होगा?

राज्य में सडक, पानी, बिजली, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्थाओं को सुचारू करने पर कोई ध्यान नही दिया जाता। जिससे आम जनता नेताओं को शक की नजरों से देखते हैं। यहां हर एक विधायक को मंत्री बनना है वह भी works Department में जहां उन्हें ज्यादा और मोटी कमाई हो। सभी को ज्यादा न ग द प स चाहिए।

प्रदेश सरकार में कांग्रेस नेताओं के कारनामें

शिमला/बलदेव शर्मा

राज्यपाल ने सरकार के खिलाफ आये भाजपा के आरोप पत्र को अगामी कारवाई के लिये प्रदेश सरकार के सचिवालय को भेज दिया है। सरकार इस पर क्या कारवाई करती है और क्या राज्यपाल इस पर की गयी कारवाई की रिपोर्ट सरकार से मांगते हैं या नहीं इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में ही होगा। लेकिन अभी सरकार ने इस आरोप पत्र पर प्रत्यक्षतः गंभीरता ने दिखाते हुए इसे संज्ञान लेने लायक दस्तावेज ही नही माना है। सरकार की इस प्रतिक्रिया का नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने केवल इतना जवाब दिया है कि सारे आरोप प्रमाणिक दस्तावेजों पर आधारित हैं। धूमल के अतिरिक्त भाजपा के किसी भी अन्य नेता ने इस पर कुछ नही कहा है।

इस परिदृश्य में भाजपा इस आरोप पत्र को आगे जन चर्चा में कैसे लाती है। इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में ही होगा। दूसरी ओर मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने आरोप पत्र आने से पहले ही यह चेतावनी दी थी कि यदि बेबुनियादी और प्रमाणों के बिना उन पर आरोप लगाये गये तो वह मानहानि का दावा दायर करेंगे। अब आरोप तो लग गये हैं इन पर आगे सरकार और स्वयं प्रतिपक्ष क्या रणनीति अपनाते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। इस आरोप पत्र पर जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है इसके लिये आरोप पत्र को पाठकों के सामने यथावत रखा जा रहा है।

इस कड़ी में सरकार में हिमाचल प्रदेश के जुब्बल – कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर, हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन बार्ड के अध्यक्ष राजेन्द्र राणा, पूर्व सांसद चंद्रकुमार, हि.प्र. कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन सुभाष मंगलेट, वन निगम के अधयक्ष केवल सिंह पठानिया, लेबर वैल्फेयर बोर्ड और उनके विभागों पर लगे आरोप सामने रखे जा रहे हैं।

सी.पी.एस.रोहित ठाकुर पर भी है आरोप

मुख्य संसदीय सचिव एवं जुब्बल – कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर ने अपने चहेतों को अलग – 2 अनैतिक ढंग अपनाकर लाभ पहुंचाए जो इस प्रकार है :-

अवैध कब्जे करवाना

जुब्बल – कोटखाई के हाटकोटी बाजार में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बना पांच मंजिला भवन दिनांक 17 अगस्त, 2016 को ढह गया। ये भवन

स्थानीय विधायक रोहित ठाकुर के नजदीकी कांग्रेस नेता जोगिन्द्र सिंह ने अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाया गया था। इस भवन के गिरने से तीन लोगों की मौत हुई और दो लोग बुरी तरह से घायल हुए। इस भवन में सरकारी विभागों एवं विधायक की परोक्ष सहमती से एक बीयर बार भी अवैध रूप से चल रहा था। इस मामले की एफ.आई.आर.थाना जुब्बल में 40/2016 दर्ज हुई किन्तु उसमें आज तक पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश नहीं किया है। एफ. आई. आर. की प्रतिलिपी संलग्न है, सारी घटना का विस्तृत विवरण एफ. आई. आर. में दर्ज है।

जुलाई, 2014 में अटल बिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज गुम्मा में स्थानीय विधायक और मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर के करीबी नेता और पूर्व जिला परिशद सदस्य मोती लाल ने कॉलेज की भूमि पर अतिक्रमण किया और कॉलेज की दीवार को तोड़कर सामने गिरी नदी में मलवा फेंका। भाजपा ने जब ये मामला मीडिया के माध्यम से उठाया तो उपरोक्त कांग्रेस नेता के खिलाफ कोटखाई पुलिस थाना में 4 जुलाई, 2014 को एफ.आई. आर. दर्ज हुई। इसके साथ – 2 कॉलेज के साथ लगती भूमि पर बहुत से कांग्रेसी नेताओं के द्वारा भूमि की बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त की गयी है और वहां पर निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है।

नगर पंचायत जुब्बल – कोटखाई में भ्रष्टाचार को संरक्षण

नगर पंचायत जुब्बल और कोटखाई में स्थानीय विधायक रोहित ठाकुर के संरक्षण में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यो में भ्रष्टाचार हुआ है। नगर पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधियों को पंगु किया गया है और उनके अधिकारों का हनन करके अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया गया है और नियमों को दरकिनार करके ठेकेदारों को फायदा देने का काम किया है। जुब्बल में ऐसे दो मामल हैं उनमें से एक की शिकायत प्रदेश विजिलैंस को भी दी गयी थी जिस पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और दूसरे मामले में बिजी बोर्ड की एक बिल्डिंग जो तीन मंजिला थी, उसके जीर्णोधार के नाम पर ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जुब्बल में 5 मंजिला भवन नियमों के विपरीत खड़ा कर दिया गया और इस बिल्डिंग को बनाने वाला ठेकेदार कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इन्द्र चौहान है। जबकि कोटखाई नगर पंचायत में रैन बसेरा जो गरीब व बेसहारा लोगों के लिए निर्मित किया गया था उसे भी कांगेस सरकार ने अपने कुछ नेताओं को लाभ देने के उद्देश्य से किराये पर दे दिया है। विजिलैंस शिकायत की प्रतिलिपी संलग्न है जिसमें विस्तृत विवरण दिया गया है।

ठेकेदारों की मदद करना

जुब्बल तहसील के थाना गांव में सावड़ा – कुड्डू जलविद्युत परियोजना में एडिट टनल का निर्माण से पुरे गांव को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसस टनल का निर्माण स्थानीय विधायक की ठेकेदारों और कम्पनी से सल्पितता के कारण अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है जबकि प्रोजैक्ट की डी.पी.आर. में इस टनल का कोई प्रावधान नहीं किया था। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर उन पर फौजदारी मुकद्दमें बनाये गए। एफ.आई. आर. की प्रतिलिपी संलग्न है।

सुभाष मंगलेट के कारनामे

✔ पद का दुरूपयोग

चौपाल क्षेत्र के नेरवा नामक स्थान पर एक बहुमंजिला इमारत बनाई गई जिसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी भूमि पर आता है। ऐसे आरोप लगे हैं कि यह भवन चेयरमैन मार्किटिंग बोर्ड का है। इस अनाधिकृत भवन में हि.प्र. सरकार एवं बैंकों के दफ्तरों को सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल करके खोला गया और भारी भरकम किराया लिया जा रहा है। यह सब पद के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है।

✔ फर्जी आढ़ती बनाना

जिला शिमला में नेशनल हाईवे पर व अन्य स्थानों पर बिना रजिस्ट्रेशन के तम्बू छाप आढ़तियों को बिठाया गया है जिन्हें चेयरमैन मार्किटिंग बोर्ड का संरक्षण प्राप्त है। ये लोग बागवानों से माल लेते हैं, उन्हें किसान के नाम पर ही बाहर की मंडियों में बेचते हैं जिससे हि.प्र. मार्किटिंग बोर्ड को करोड़ों रू. प्रतिवर्ष के टैक्स का नुकसान होता है।

✔ भ्रष्टाचार

हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। मुख्यमंत्री की चहेते प्रबन्ध निदेशक द्वारा फैलाए भ्रष्टाचार को अध्यक्ष

महोदय भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। विस्तृत जानकारी कृषि विभाग के अंतर्गत लिखी गई है।

पूर्व सांसद चंद्रकुमार ने भी उठाया लाभ

✔ मा. उच्च न्यायालय ने भूमि तबादलों पर प्रतिबंध लगा रखा है, परन्तु वर्तमान कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद चंद्रकुमार को कैबिनेट मीटिंग कर भूमि तबादले की अनुमति दे कर सरकारी वन भूमि पर बनी उनकी कोठी को नियमित कर दिया। एक तरफ तो गरीब किसान, बागवान और यहां तक कि

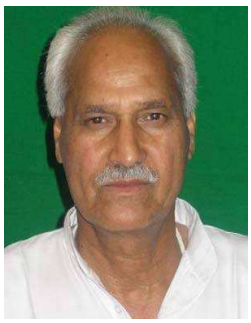

भाखड़ा बांध विस्थापितों के वन भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम वीरभद्र सरकार ने छेड़ रखी है, दूसरी तरफ प्रभावशाली लोगों के भूमि के तबादले कर वन भूमि पर बनी कोटियां नियमित की जा रही है।

केवल सिंह पठानिया के कारनामे

✔ भ्रष्टाचार

हिमाचल प्रदेश के वनो को समाप्त करने का बड़ा जरिया बन गया है। हजारों वर्ग मील के बेहतरीन जंगल होने के बावजूद हिमाचल वन निगम लगातार घाटे में चल रहा है। वनों में से लकड़ी निकालने के ठेके दिए जाते हैं। जिन ठेकेदारों के करोड़ रू. वन निगम की ओर बकाया है जिस पैसे को चुकाने के लिए वन निगम भारी भरकम ब्याज पर लोन ले रहा है। वनो में गिरी लकड़ी को समय पर न उठाना, वनो में गिरी लकड़ी को उठाने के टैण्डरों में हेराफेरी करना, वनों के उत्पाद जैसे बिरोजा आदि की खरीद में हेराफेरी करना, यह सब एक बड़ा माफिया है। यदि ऐसा न हो तो बेहतरीन जंगल होने के बावजूद निगम का घाटा बढ़ता जा रहा है। चील के जंगलों में बिरोजा निकालने के लिए पेड़ों को इस कदर छल्ली किया जा रहा है कि वे पेड़ 5 वर्ष के अंदर – 2 आगजनी का शिकार हो कर गिर जाते हैं व उठा लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश वन निगम हिमाचल प्रदेश के वनों को चंद लोगों के लाभ के लिए समाप्त कर रहा है।

✔ विदेशी दौरों में फिजूलखर्ची

चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यायल पालमपुर के निदेशक मण्डल का सदस्य होने के नाते विदेशी दौरे पर जाकर फिजूलखर्ची को बढ़ावा दिया।

राजेन्द्र राणा की कारगुजारियां

हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन बार्ड के अध्यक्ष राजेन्द्र राणा सांसद बनने चले थे, पर विधायक से भी जाते

रहे और अब प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं का प्रबन्धन करने की बजाय अपना राजनैतिक कैरियर संवारने का प्रबन्ध सरकारी खर्चे पर कर रहे हैं। इन पर आरोप है कि ये सुजानपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे प्रत्येक गैर – कानूनी काम को संरक्षण देते हैं। चाहे बात अवैध खनन की हो और चाहे अवैध वन कटान की, इन्हें अपना व अपने चहेतों का प्रबन्धन तो करना ही है।

भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इन्होनें इस विधान सभा क्षेत्र में बिना बजट के इतनी घोषणायें कर रखी है कि अगर पूरे प्रदेश का बजट भी वहां खर्च कर दिया जाए तो भी वो पूरी नहीं होगी। उन्हें यह घोषणायें करने के लिए किसने अधिकृत किया, आज तक समझ नहीं आया। प्रदेश के अंदर और बाहर इनकी बेतहाशा सम्पति को देखते हुए इन पर आय से अधिक सम्पति के आरोप भी लगते रहे हैं। इनका अधिकतर समय सत्ता के गलियारों में मुख्यमंत्री व मंत्रियों से बड़े – 2 लोगों के बड़े – 2 काम करवाने में व्यतीत होता, ये इनका शौक है या धंधा, यही जाने।

लेबर वैल्फेयर बोर्ड बना भ्रष्टाचार का अड्डा

* गरीबों व मजदूरों के कल्याण के लिए बनाया गया लेबर वैल्फेयर बोर्ड सरकार से जुड़े नेताओं के वैल्फेयर का केन्द्र बन गया है। गरीबों मजदूरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल होने वाले धन का प्रयोग राजनेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस के चंद नेताओं के कहने पर बोर्ड का धन किसी भी विधान सभा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में बांट दिया जाता है। मजदूरों के कल्याण के लिए दी जाने वाली सामग्री की खरीद में भारी घोटाला है। घटिया माल ऊंचे दामो पर खरीद कर बंदरबांट की जा रही है। जो गरीब लोग सिलाई मशीन, साईकिल, विद्युत का सामान आदि के पात्र हैं, उन्हें न देकर कवेल अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिए जा रहे हैं और घटिया सामग्री होने से गरीब को उल्टा नुकसान हो रहा है। सम्पूर्ण भ्रष्टाचार का केन्द्र बिन्दू बन गया लेबर वैल्फेयर बोर्ड और उसके सरदार हैं, बाबा अमरजीत सिंह।

बागवानी क्षेत्र में बदलाव के लिए बनी 1134 करोड़ की परियोजना

शिमला/शैल। पौध सामग्री के आयात से संबंधित मीडिया के छपे समाचारों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स ने इन समाचारों को गल्त तथा निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि गैर-प्रमाणित पौध सामग्री तथा कल्मों के व्यापार से जुड़े कुछ शरारती तत्वों द्वारा राज्य सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र में बदलाव को रोकने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बागवानी क्षेत्र में 1134 करोड़ रुपये की विश्व बैंक परियोजना को कार्यान्वित कर विकास की ओर अग्रसर है।

बागवानी मंत्री ने कहा कि परियोजना को इस क्षेत्र में कम पैदावार, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कड़ी प्रतियोगिता तथा मौसम से सम्बन्धित समस्याओं से निपटने के लिए तैयार किया गया है। परियोजना का मुख्य लक्ष्य छोटे व मंझोले किसानों को एकजुट कर उत्पादों की पैदावार, विपणन व प्रसंस्करण के आर्थिक स्तर में सुधार लाना है।

सीएसआईआर लैव पालमपुर ने इस संबंध में श्रेणीवार अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि पीसीडीओ दत्तनगर में एक प्रजाति के पांच पौधों में किसी भी तरह का वायरस नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्राधिकृत एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट प्रक्रिया आधारित थी, लेकिन सीएसआईआर लैव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीकों के मुकाबले कम स्तर की है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि प्रदेश में संक्रमित पौधों का वितरण किया जा रहा है।

प्रदेश में विभिन्न तापमान के फलों की किस्मों तथा रूट स्टॉकों में सदा उच्च जमपलाजमा को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में बागवानों तथा बागवानी विश्वविद्यालय के विचारों तथा सुझावों पर विचार करने के उपरान्त ही वर्ष 2016 में पौधा सामग्री का आयात किया गया था।। सरकार द्वारा विश्व बैंक की निविदा प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश के मौसम को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उच्चतम गुणवत्ता वाली प्रजातियों तथा रूट स्टॉकों का आयात किया गया। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी पौधे किसी भी तरह के संक्रमण से मुक्त हैं।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना की कार्यान्वयन अवधि सात वर्ष है। किसानों तथा बागवानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रदेश में अभी भी चम्बा, सिरमौर, लाहौल-स्पिति तथा शिमला, मण्डी, कांगड़ा तथा कुल्लू के कुछ खण्डों में 80 प्रतिशत उपयुक्त भूमि पर फल पौधे नहीं हैं। यह पौधे विशेषकर इन क्षेत्रों के लिए आयात किए गए थे।

विभाग द्वारा करवाई गई समीक्षा के फलस्वरूप 60 हजार पौधे प्रदेश भर में विभिन्न समूहों में किसानों को वितरित किए गए। यहां यह बताना अति-आवश्यक हो जाता है कि पौधों के आयात में किसी भी तरह की कोताही व जल्दी नहीं बरती गई है। निविदा प्रक्रिया में विश्व बैंक की शर्तों के अनुसार ही पूरी की गई है। अपने निजी स्वार्थों के लिए कुछ शरारती तत्व मीडिया में निराधार आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें प्रदेश के सेब व्यापार को कोई भी ज्ञान नहीं है।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कलोनल रूट स्टॉक को लाने तथा स्थापित करने में पारम्परिक बिजने की प्रक्रिया के कारण विश्व भर से 40 वर्ष पीछे है।

उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया में ईएमएलए तथा जेनेवा रूट स्टॉक की आवश्यकता दर्शाई गई थी, परन्तु इन प्रजातियों की उपलब्धता किसी भी नर्सरी में नहीं करवाई। विभिन्न प्रजातियों के रूट स्टॉक को आयात कर उन्हें विभिन्न पीसीडीओ में रखा गया है, जोकि आगामी दो-तीन वर्षों में पौधे तैयार करने के काम आएंगे। जेनेवा रूट स्टॉक उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी हैं तथा नई निविदा प्रक्रिया में इस पर जोर दिया जाएगा।

किसी भी तरह का आयात केवल विश्व की पंजीकृत तथा अधिकारिक नर्सरियों द्वारा ही किया गया है। इसलिए कमीशन एजेंटों द्वारा किसी भी तरह की भूमिका का सवाल ही नहीं उठता। निविदा प्रक्रिया में तीन कम्पनियों ने भाग लिया था तथा विश्व बैंक तथा राज्य सरकार की शर्तों के अनुसार एल-1 आपूर्तिकर्ताओं को पूर्ति आदेश दिया गया। इटली से पौध सामग्री भेजने से पहले डा.वाई.एस.परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के डीआईए (पीईक्यू) एवं प्रोफैसर एण्ड हैड, पौध रोग विभाग डा. सतीश शर्मा ने इटली का दौरा किया तथा सामग्री की गुणवत्ता के बारे रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पौध संरक्षण विभाग द्वारा मुंबई बंदरगाह पर भी पौध सामग्री का निरीक्षण किया गया है। अतः निराधार व तथ्यवहीन ब्यानबाजी कर बागवानों को गुमराह करने की कोशिश न्यायसंगत नहीं है।

.P. Takniki Shiksha Board , Dharamshala-176057

(Estt. Under H.P. Takniki Shiksha Board, Act 1986)

Main High Lights

- Online SLCM Project (Student life cycle Mangement Project)
- Online Admission & Counseling Of Polytechnic Engg. Diploma
- ITI Engg. /Non –Engg. Courses of Govt. ITIs
- Polytechnic (Pharmacy Diploma)
- Introduced OMR Title Page Answer Books
- Digitization of all examination process
- A self financing Board

Examination Conduct

- Polytechnic Semester Examination
- ITI NCVT
- ITI SCVT
- ITI COE

Apprenticeship Exam.

Student Helpline : 9816613188, 9816600653, 9816601183

Entrance Examinations

PAT-2017 on 21.05.2017

LEE-2017 on 28.05.2017

Website:www.hptechboard.com. **email :**techboard-hp@nic.in , **Phone :** 01892-222662, **Fax:** 01892-225755

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

ड्रग्स जैसे अपराध में 65% आरोपीयों का अदालत में छूट जाना सरकार और जनता के लिये खतरा

शिमला/जे पी भारद्वाज

प्रदेश में ड्रग्स अपराध हर साल बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इनमें पकडे गये अपराधियों में से केवल 35% को ही सजा मिल पा रही है और शेष 65% अदालत में जाकर छुट जा रहे हैं। यह खुलासा मुख्य सचिव वीसी फारखा ओर डीजीपी संजय कुमार द्वारा बुलायी गयी सांझी पत्रकार वार्ता में रखे गये आंकड़ो से सामने आया है। इन आंकड़ो के मुताबिक 2016 में 929 मामले दर्ज किये गये हैं जबकि 2015 में यह संख्या 622 और 2014 में 644 थी। ड्रग्स माफिया ने प्रदेश के कॉलिज़ों से लेकर स्कूलों तक पांव पसार लिये है। कुल्लु, चम्बा, कांगडा, ऊना और शिमला में यह अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। शिमला के तो हर थाने में ड्रग्स के मामले दर्ज है। कई विदेशी ड्रग्स के साथ पकड़े गये हैं। 2016 में 377 किलो चरस, 27 किलो अफीम और 90 किलो गांजा बरामद किया गया है। कुल्लु पुलिस ने अभी पिछले दिनों एक नाईजीरिया के नागरिक से डेढ़ किलो हेरोईन और अमेरिका के नागरिक से 126 किलो गांजा, 10 किलो हशीश तेल बरामद किया है।

प्रदेश में इन अपराधों में विदेशीयों का पकड़ा जाना यह प्रमाणित करता है कि यह विदेशी अपने स्थानीय संपर्को के माध्यम से ही इन अपराधों को अंजाम दे रहें है क्योंकि किसी विदेशी के लिये अपने स्थानीय संपर्क के बिना इस तरह के अपराध को अंजाम दे पाना संभव ही नही है। प्रदेश की पुलिस एक लम्बे अरसे से भांग और अफीम के पौधों को उजाड़ने की मुहिम चलाती आ रही है लेकिन इसका कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। बल्कि हर साल यह मुहिम एक रस्म अदायगी बनकर रह रही है। चरस, गांजा और अफीम के अतिरिक्त

अब नशे के कैपस्यूल और कई तरह की गोलीयां भी दवा विक्रेताओं के पास मिल रही हैं। मीठे जहर का यह कारोबार लगातर फैलता जा रहा है। इस अपराध के बढ़ते आंकड़े से इस धारणा को बल मिल रहा है कि जिस अपराध और अपराधी को परोक्ष/अपरोक्ष में सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है वही नही पकड़ा जाता है। इस अपराध में पकडे जाने वाले 65% अपराधीयों को अदालत में सजा न मिल पाना भी इसी धारणा को पुख्ता करता है क्योंकि अपराधी को अदालत में सज़ा दिलाना और उसके लिये पुख्ता साक्ष्य जुटाना पुलिस की जिम्मेदारी है। जब मामले में कुछ कमियां रहेंगी तभी अदालत में अपराधी को इसका लाभ मिलेगा और वह छूट जायेगा।

लेकिन अब तक पुलिस इस अपराध से परोक्ष/अपरोक्ष में जुड़े बड़े आकाओं तक नही पहुंच पा रही है। पुलिस को इस तरह का सुराग अब तक नही मिल पाया है। जबकि 2011 में एक पुलिस कर्मी कमल देव ठाकुर ने अपने स्थानान्तरण को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी उसमें यह लिखा गया था As per the record of the police it is revealed that the petitioner had detected about 54 (fifty four cases) of unmasking illegal smuggling of drugs, Liquor, and mafias who were actively involed in this illegal business with the blessing of big bosses at higher echelons. कमल देव को सरकार अपराधिक अन्वेषण में साहसिक भूमिका निभाने के लिये 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर सम्मानित भी कर चुकी है। उसने हमीरपुर में इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है जिससे कई बड़े लोग उससे अप्रसन्न हो गये थे उसने हमीरपुर के राजनेता पर गंभीर आरोप लगाये हैं। लेकिन शीर्ष पुलिस प्रशासन ने इस पुलिस कर्मी के माध्यम से उस राजनेता तक पहुंचने का प्रयास करने की बजाये उसे ही प्रताड़ित किया। इसी तरह जुलाई 2014 में ऊना के हरोली थाना क्षेत्र के तहत एक दवा विक्रेता पर तीन दिन तक पंजाब पुलिस ने छापामारी करके बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़े। हरोली थाना की भूमिका इस मामले में काफी विवादित रही है जिसके कारण पूरा थाना ट्रांसफर किया गया था। इस क्षेत्र के एक युवक की मादक पदार्थो के सेवन के कारण मौत हो गयी थी। स्थानीय लोगों ने इस पर दो दिन भारी प्रदर्शन किया था। लेकिन पुलिस यहां भी स्थानीय संपर्को तक नही पहुंच पायी। शिमला के ठियोग थाना में दर्ज एक एनडीपीएस मामले में एक नेता के साथ जुड़े लोगों पर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाये हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण है जिनके माध्यम में एक पुलिस बड़े लोगों तक पहुंच सकती थी लेकिन ऐसा हो नही पा रहा है।

इस परिदृश्य में मुख्यसचिव और डीजीपी ने इस अपराध को लेकर जो चिन्ता ओर गंभीरता दिखाई है उसके तहत सरकार ने भांग व अफीम की खेती को उखाड़ने के लिए एनजीओ, पंचायती राज संस्थाओं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शामिल कर बड़ा अभियान चलाने जा रही हैं। नारको सेल में अलग अलग रेंज में तीन डीएसपी तैनात कर दिए हैं इसके अलावा आईजी व डीआईजी के साथ भी डीएसपी तैनात किए जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अलग से सेल खोलने का भी इरादा हैं। चुनावी साल में चीफ सेक्रेटरी फारका ने सरकार का इरादा साफ कर दिया हैं। चूंकि इस साल चुनाव होने हैं व विपक्षी पार्टी ड्रग्स के संवेदनशील मसले पर सरकार को न घेर दे इसलिए सरकार ने पहले ही अपने टॉप बाबू आगे कर दिए हैं। लेकिन इन टॉप बाबूओं का ज्यादा फोकस भांग व अफीम की खेती तबाह करने में है जबकि प्रदेश में बाकी ड्रग्स पांव फैला चुकी हैं।

सोलन को नगर निगम बनाने की मांग उठी

शिमला/शैल। सोलन को नगर निगम बनाने की मांग करते हुए सोलन नगर निगम परिषद् के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत और अन्य कांग्रेस नेताओं ने 28.12.16 को मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह को पत्र लिखा था। इस पत्र में मुख्यमन्त्री को स्मरण करवाया है कि जून 2015 को शूलिनि मेले के अवसर पर वीरभद्र सिंह ने स्वयं सोलन को नगर निगम बनाने का आश्वासन दिया था। मुख्यमन्त्री कार्यालय ने यह पत्र आगामी कारवाई के लिये 27 जनवरी 2017 को निदेशक शहरी विकास विभाग को भेज दिया है। सोलन नगर निगम परिषद् भी दो वर्ष पहले इस आश्य का प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेज चुकी है। इस समय डा0 धनी राम शाडिल सोलन के विधायक है और वीरभद्र सरकार मे मंत्री है। सोलन कांग्रेस के इन नेताओं ने अब मुख्यमन्त्री को भेजे पत्र की प्रतिलिपि धनीराम शांडिल को भेजकर उनसे सोलन को नगर निगम बनवाने की मांग की है।

स्मरणीय है कि जब धर्मशाला को नगर निगम का दर्जा दिया गया था तो उस समय वहां की आबादी 23 हजार थी। धर्मशाला को नगर निगम बनाने के लिये उसके आस-पास के क्षेत्रों को उसमें मिलाया गया है। जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक सोलन की आबादी उस समय करीब 40 हजार थी जिसका की अब 50 हज़ार तक पहुंचने का अनुमान है सोलन के गिर्द 10 बडे शैक्षणिक संस्थान चल रहे है और यहां पर प्रतिदिन 20 से 25 हजार के बीच बाहर से लोग आते है। जनसंख्या के आंकड़ो के आधार पर सोलन धर्मशाला से बड़ा है। धर्मशाला नगर निगम बनने के बाद स्मार्ट सिटी की सूची में भी आ गया है। ऐसे में इस समय सोलन को नगर निगम बनाने की जो मांग उठी है उसके राजनीतिक परिणाम दूरगामी होंगे।

इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने है और कांग्रेस को यह चुनाव जीतने के लिये लोगों की जायज़ मांगो को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हुए उसे अमली शकल देने का प्रयास करना होगा। जब 2015 में मुख्यमंत्री ने स्वयं सोलन नगर निगम बनाने का आश्वासन दिया था तो आज लोग उस आश्वासन पर अमल चाहेंगे। यदि नगर निगम बनाने का यह आश्वासन पूरा न हुआ तो इसको नुकसान कांग्रेस और धनीराम शांडिल दोनों को चुनावों में होगा यह तय है।

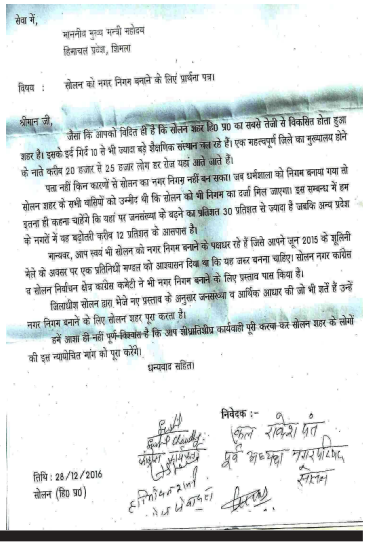

सेवा में,

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय
हिमाचल प्रदेश, शिमला

विषय : सोलन को नगर निगम बनाने के लिएं प्रार्थना पत्र।

श्रीमान जी,

जैसा कि आपको विदित ही है कि सोलन शहर हि0 प्र0 का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ शहर है। इसके इर्द गिर्द 10 से भी ज्यादा बड़े शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जिले का मुख्यालय होने के नाते करीब 20 हजार से 25 हजार लोग हर रोज यहां आते जाते हैं।

पता नहीं किन कारणों से सोलन का नगर निगम नहीं बन सका। जब धर्मशाला को निगम बनाया गया तो सोलन शहर के सभी वासियों को उम्मीद थी कि सोलन को भी निगम का दर्जा मिल जाएगा। इस सम्बन्ध में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यहां पर जनसंख्या के बढ़ने का प्रतिशत 30 प्रतिशत से ज्यादा है जबकि अन्य प्रदेश के नगरों में यह बढ़ोतरी करीब 12 प्रतिशत के आसपास है।

मान्यवर, आप स्वयं भी सोलन को नगर निगम बनाने के पक्षधर रहे हैं जिसे आपने जून 2015 के शूलिनी मेले के अवसर पर एक प्रतिनिधी मण्डल को आश्वासन दिया था कि यह जरूर बनना चाहिए। सोलन नगर कांग्रेस व सोलन निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस कमेटी ने भी नगर निगम बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया है।

जिलाधीश सोलन द्वारा भेजे नए प्रस्ताव के अनुसार जनसंख्या व आर्थिक आधार की जो भी शर्तें हैं उन्हें नगर निगम बनाने के लिए सोलन शहर पूरा करता है।

हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही पूरी करवा कर सोलन शहर के लोगों की इस न्यायोचित मांग को पूरा करेंगे।

धन्यवाद सहित।

तिथि : 28/12/2016
सोलन (हि0 प्र0)

निवेदक :-
कुल राकेश पंत
पूर्व अध्यक्ष नगरपरिषद
सोलन

वामपंथी नेताओं व कार्यकर्ताओं को सादी वर्दी पुलिसवालों से पिटवाने का वीरभद्र सरकार पर संगीन इल्जाम

शिमला/शैल।

वामपंथियों ने वीरभद्र सिंह सरकार पर साल से ज्यादा समय से शोंगटोंग पॉवर प्रोजेक्ट से निकाले मजदूरों की बहाली को लेकर हाईकोर्ट व लेबर कोर्ट आदेशों की पालना न करने पर हिमाचल पावर कॉरपोरेशन के कार्यालय में वार्ता के लिए गए वामपंथी नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बसों व थानों में सादी वर्दी में पुलिस वालों से पिटवाने का बेहद संगीन इल्जाम लगाया हैं।

माकपा के प्रदेश सचिवालय सदस्य टिकेंद्र पंवर ने कहा कि ये खतरनाक प्रवृति है। सिविल सोसायटी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि वो इस तरह की हरकतें कर क्या साबित करना चाहती हैं। टिकेंद्र पंवर बीते रोज हिमाचल पॉवर कारपोरेशन में गए वामपंथी नेताओं राकेश सिंघा व बाकी कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करने व सादी वर्दी में पुलिस के जवानों से इन्हें पिटवाने को लेकर वीरभद्र सिंह सरकार को आगाह कर रहे थे। टिकेंद्र पंवर ने कहा कि माकपा व सीटू इस जंग को गलियों तक ले जाएगी।

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट व लेबर कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं की जा रही है व ये सब सरकार के इशारे के बिना संभव नहीं हैं। इस प्रोजेक्ट में कांग्रेस पार्टी, सरकार व नौकरशाहों का गठजोड़ मजदूरों के हकों पर डाका डाल कर अपनी झोलियां भर रहा है। सरकार की ये मिलीभगत खतरनाक है। टिकेंद्र पंवर ने कहा कि प्रदेश की विभिन्न जेलों में महीनों से बंद 57 मजदूरों की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। आखिर उन्हें जेलों में क्यों रखा गया हैं, उन्होंने अपराध कौन सा किया हैं। कत्ल और रेप के आरोपियों को जमानत मिल जाती हैं लेकिन ये महीनों से प्रदेश की अलग-अलग जेलों में पड़े हैं। उनके परिवारों का क्या हो रहा है क्या ये सरकार को मालूम है?

इस मौके पर माकपा सचिवालय के एक अन्य वरिष्ठ सदस्य कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की 1006 करोड़ की डीपीआर बनी थी जबकि पटेल कंपनी इसकी बोली 1000 करोड़ रुपए लगाकर ठेका हासिल किया था। ऐसे में मजदूरों की मजदूरी पर कट लगाया जा रहा है।

मेयर व माकपा नेता संजय चौहान ने कहा कि बीते रोज पुलिस के दबाव में माकपा व सीटू नेताओं को उठा ले गए। सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती हैं। वो इसमें कामयाब नहीं होगी।

उधर सीटू ने इस मसले पर आज डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। सीटू नेताओं ने कहा कि श्रम कानूनों को लागू करवाना सरकार का दायित्व है। वहां पर कार्यरत मजदूरों को न तो न्यूनतम वेतन दिया जाता है, न ई. पी. एफ. काटा जाता है और न ही कोई छुट्टी दी जाती है। ई. पी. एफ. आयुक्त व लेबर कमीशनर ने हाई कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा है कि कम्पनी में श्रम कानून लागू नहीं हो रहा है। यहां तक कि प्रदेश सरकार की शह पर पटेल कम्पनी और एच. पी. सी. एल. 18 मई 2016 को लेबर कोर्ट व 20 सितम्बर 2016 के हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे है। ऐसे में गिरफ्तारी तो इनकी होनी चाहिए।

एच. पी. सी. एल. के समयानुसार जब मजदूर व नेतृत्वकारी साथी बातचीत करने गए तो 5 घंटे तो उनको वहां पर बैठाकर रखा गया व उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। मजबूर होकर मजदूरों को प्रदर्शन करना पड़ा।